न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प,चौहटन

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 11/2016

अपीलांट	**बनाम्**	**रेस्पोडेंट**
ईशा पुत्र मोमद जाति तेली निवासी निवासी चौहटन तहसील चौहटन		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,चौहटन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2015 बमुकदमा संख्या 131/2015 द्वारा तहसीलदार, चौहटन

उपस्थितिः– 1. श्री रूपसिंह राठौड़ अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट तहसीलदार,चौहटन उपस्थित।

निर्णय दिनांक 03.06.2016

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चौहटन ने तहसीलदार,चौहटन के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर जाहिर किया कि अपीलांट–ईशा ने सम्वत् 2072 में मौजा चौहटन के खसरा नम्बर 1136/642 में रकबा 0.11 विस्वा किस्म गैर मुमकिन गोचर की भूमि पर अतिक्रमण कर बाड़ा मय ओरा पक्का व कच्चा झोफा का निर्माण किया है। इस पर तहसीलदार,चौहटन ने अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 131/15 दर्ज कर,बाद जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2015 द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये, एंव 03/–जुर्माना आरोपित किया। इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपील देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपत्र पत्र भी पेश किया।
2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब कीं।
3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट चौहटन में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषक व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई

जिला कलक्टर
बाडमेर

Scanned by CamScanner

था। अपीलांट व इनके अधिवक्ता उपस्थित रहे। रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन उपस्थित रहे।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट का विवादग्रस्त भूमि पर मकान बना हुआ है। अपीलांट का गोचर भूमि पर अतिक्रमण नहीं है,बल्कि यह भूमि अपीलांट के पूर्वजों के समय से खातेदारी में आई हुई है जिसे वक्त पैमाइश अधिकारियों की गलती से जमाबंदी में गोचर का इन्द्राज कर दिया। उन्होने तर्क दिया कि विवादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से विशेष सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु सरकार द्वारा आरक्षित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं हैं। सरकारी भूमि पर पुराने आवासीय कब्जों को नियमन किये जाने का नियमों में प्रावधान है। अपीलांट का वर्षो पुराना कब्जा सद्भाविक कब्जा होने एंव इस भूमि पर परिवार सहित काबिज होने से नियमन योग्य है। इसलिये अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को खारिज किया जाए। इसके जवाब में रेस्पोडेंट का यह तर्क है कि अपीलांट ने गैर मुमकिन गोचर की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान का निर्माण किया है। यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। गोचर की भूमि नियमानुसार किसी के हक में नियमन नहीं की जा सकती है। इसलिये न्यायालय तहसीलदार ने अपीलांट को बेदखल करने एंव जुर्माना आरोपित करने का जो आदेश पारित किया है वह सही एंव न्यायोचित है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाएं।

5. हमने उभय पक्ष को सुना। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम चौहटन का खसरा नम्बर 1136/642 राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। दोनो पक्ष इस तथ्य को स्वीकार करते है कि अपीलांट ने गैर मुमकिन गोचर की भूमि पर अतिक्रमण किया हैं। अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि इस भूमि पर अपीलांट का पुराना कब्जा है इसलिये नियमन किया जावे। मगर अतिक्रमण की गई भूमि गैर मुमकिन गोचर है। गोचर भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन व नियमन हेतु वर्जित है। इसलिये अपीलांट को विवादित भूमि के नियमन हेतु अनुशंषा नहीं की जा सकती। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने एंव जुर्माना आरोपित करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह सही एंव न्यायोचित है,जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2015 यथावत रखा जाता है

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश खुले न्यायालय कैम्प चौहटन में आज दिनांक 03.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner